
3. भा० प्र० से० संबंधी

(क) राज्य सरकार के विविध पत्र

[1]

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग।

संकल्प

विषय :- भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1997 के अन्तर्गत गैर राज्य असैनिक सेवा के पदों की उप-समाहर्ता के पद की समकक्षता संबंधी अधिघोषणा ।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 (1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1997 के अन्तर्गत गैर राज्य असैनिक सेवा के पदाधिकारियों की चयन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति का प्रावधान है। भा० प्र० से० (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1997 के नियम 4 (iii) में अन्य उपबंधों के अतिरिक्त यह भी उपबंध किया गया है कि गैर राज्य असैनिक सेवा के पदाधिकारियों द्वारा धारित पद राज्य सिविल सेवा द्वारा उप-समाहर्ता के समकक्ष घोषित किया गया हो ।

2. इसी प्रसंग में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं०-106/1994 टी० शामभट्ट बनाम भारतीय संघ व अन्य में दिनांक-29/7/1994 को पारित फैसले में समरूपता संबंधी मापदंड निर्धारित किये गये हैं ।

3. आज तक गैर राज्य असैनिक सेवा के पदों की उपसमाहर्ता के पद संबंधी समकक्षता घोषित नहीं है। अतः यह आवश्यक है कि सर्वप्रथम गैर राज्य असैनिक सेवा के पदों की उप-समाहर्ता के पद से समकक्षता घोषित की जाय।

4. अतः राज्य सरकार ने उक्त कंडिका -3 में वर्णित बिन्दु के सम्यक निर्धारण हेतु निम्नरूपेण एक समिति का गठन किया है :-

1. श्री बी० बी० लाल, भा० प्र० से० - अध्यक्ष
2. श्री एन० के० अग्रवाल, भा० प्र० से० - सदस्य
3. श्री प्रत्यूष सिंहा, भा० प्र० से० - "
4. श्रीमती सुषमा सिंह, भा० प्र० से० - "
5. श्री एस० पी० केशव, भा० प्र० से० - "
6. श्री यू० के० सिंहा, भा० प्र० से० - "
7. श्री शुभकीर्ति मजुमदार, भा० प्र० से० - "
8. सचिव, कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग - सदस्य सचिव

5. उक्त समिति की बैठक समिति के अध्यक्ष अपनी सुविधानुसार आहूत करेंगे तथा अपनी अनुशांसा यथाशीघ्र कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को उपलब्ध करायेंगे ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में तुरंत प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को उपलब्ध करायी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/- अलका तिवारी

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-1/सी०-1013/99 का०-558

पटना-15, दिनांक 21 जनवरी, 2000

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-1/सी०-1013/99 का०-558

पटना-15, दिनांक 21 जनवरी, 2000

प्रतिलिपि-मुख्य सचिव कोषांग/कार्मिक सचिव कोषांग/श्री बी० बी० लाल, निदेशक, एल० एन० मिश्रा आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान, पटना/श्री एन० के० अग्रवाल, निगरानी आयुक्त, मं० मं० (निगरानी) विभाग/श्री प्रत्यूष सिंहा, आयुक्त एवं सचिव, वित्त विभाग/श्रीमती सुगमा सिंह, कृषि उत्पादन आयुक्त/ श्री एस० पी० केशव, सचिव, परिवहन-सह-राज्य परिवहन आयुक्त/श्री यू० के० सिन्हा, सचिव, पथ निर्माण विभाग/श्री शुभकीर्ति मजुमदार, सदस्य (वित्त), बिहार राज्य विद्युत पर्यट, पटना/श्री अरविन्द प्रसाद, सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-अलका तिवारी

सरकार के अपर सचिव ।

पत्र संख्या-बी/परि 08-1009/99 मं० सा० 730

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

(सामान्य शाखा)

प्रेषक,

श्री चन्द्रशेखर चौधरी,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव
सभी सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
सभी विभाग
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिलाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 17 सितम्बर, 99

विषय :- सरकारी पदाधिकारियों/कर्मचारियों को वायुयान द्वारा यात्रा करने के क्रम में देय सुविधा के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्रांक ए० भी०-13025/1/96-17 (पी० टी०) दिनांक 01 सितम्बर, 99 की प्रति आवश्यक मार्ग-दर्शन हेतु संलग्न है ।

विश्वासभाजन,

ह०/- चन्द्रशेखर चौधरी
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञाप संख्या-730

पटना-15, दिनांक 17 सितम्बर, 99

प्रतिलिपि- राज्यपाल के सचिव, राजभवन, पटना को संदर्भित पत्र की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/- चन्द्रशेखर चौधरी

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञाप संख्या-730

पटना-15, दिनांक 17 सितम्बर, 99

प्रतिलिपि- मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को संदर्भित पत्र की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/- चन्द्रशेखर चौधरी

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञाप संख्या-730

पटना-15, दिनांक 17 सितम्बर, 99

प्रतिलिपि- सचिव, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/- चन्द्रशेखर चौधरी

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञाप संख्या-730

पटना-15, दिनांक 17 सितम्बर, 99

प्रतिलिपि- निबंधक (नयाचार) पटना उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/- चन्द्रशेखर चौधरी

सरकार के उप सचिव ।

Tel No. 4610358

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CIVIL AVIATION, RAJIV GANDHI BHAWAN, SAFDARJUNG AIR PORT,
NEW DELHI-110003

P. V. Jayakrishnan
Secretary.

No. AV. 13025/1/96-A (Pt.)
September, 1, 1999

Dear Chief Secretary,

Subject : Air Travel abroad by Government officials—Travel by National Carriers.

I would like to draw your attention to the Office Memorandum No. 19036/8/95-99/E.IV, dated 20th, August, 1999 and Memorandum No. 19036/8/95-99/E.IV., dated 4th, December, 1997 (copies enclosed) issued by the Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India regarding air travel of government servants have conveyed the following decisions :—

- (i) Wherever the destination is directly connected by Air India/Indian Airlines, Government officials should necessarily travel by Air India/Indian Airlines and the booking of tickets should be done through National carriers directly;
- (ii) In sectors where Air India/Indian Airlines do not operate or there is no direct flight to the final destination, Government officials should travel by National carriers upto the nearest station/point and thereafter, travel by foreign airlines;
- (iii) It has been decided to withdraw the permission to book tickets through travel agencies in the private sector with immediate effect. The services of M/s Ashok Travels & Tours and M/S Balmer Lawrie & Co. Ltd. may, however, continue to be availed of.

In order to provide better services and achieve greater customer satisfaction, Air India has devised a special package for government servants. The following special facilities and incentives will be provided to all State government servants travelling by Air India if the booking is done directly through Air India offices in State Capitals :—

- (a) A fare discount of 12% on all sectors flown by Air India if the booking is done directly at its offices in State/UT capitals.

- (b) Automatic upgradation to the next higher class for officials equivalent to the rank of Under Secretary to the Government of India and above.
- (c) 24 hours additional lay-over on its long haul flights.
- (d) Special handling and priority check-in at the airports.
- (e) Air India has introduced a 'Home Delivery' system underwhich the tickets, if so desired, will be delivered at the office/residence of the government official.

Facilities at (b) (c) & (d) above will also be offered if the ticketing is done through M/s Balmer Lawrie & Co. Ltd. and Ashok Tour & Travels and a specific request is made by the Agent to Air India.

Air India has entered into code-share agreements with Air France, Swiss Air, Singapore Airlines, SAS, Austrian etc. and its global reach has improved considerably. Almost all important destinations in Europe and Africa are conveniently connected over the hubs at London and Paris and convenient connections to cities in North & South America are available from New York and Chicago with interlining arrangements. Air India has now acquired a world-wide network which will be adequate to meet travel requirements of government officials.

In view of the instructions of Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India and the above facts, I would request your personal intervention so that these instructions are also followed by all the State government officials. I shall also be grateful if you kindly impress upon all public sector undertakings under your control to follow the above instructions. The PSUs will also be offered the special package devised for the government officials, as mentioned above.

With regards,

Yours sincerely,

Sd/—

(P. V. Jayakrishnan)

Sri S. N. Biswas,
Chief Secretary,
Govt. of Bihar,
Patna.

No. 19036/8/95-99/E-IV

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE,
DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi, Dated, 20th August, 1999.

OFFICE MEMORANDUM

Subject : Air Travel Abroad by Government Servants-Travel by National Carriers.

Under this Department's Office Memorandum No. 19036/8/95/E-IV, Dated 4th December, 1997 on the above cited subject (Copy enclosed for ready reference) certain instructions were issued in regard to matters like travel by the two National Carriers, booking of tickets directly and availing of discount with Air India and through travel agencies in the public and private sectors etc.

2. Attention is specifically invited to paragraph 2(c) of the said O.M. which permits officials in cases covered by the said paragraph, to book their tickets through M/s. Ashok Travels & Tours and M/s. Balmer Lawrie & Company Ltd. or any other travel agent subject to fulfilment of the conditions specified in the said paragraph. It has now been decided to withdraw the permission to book tickets through travel agencies in the private sector with immediate effect. The services of M/s. Ashok Travels & Tours and M/s. Balmer Lawrie & Company Ltd, may, however, continue to be availed of.

3. All Ministries/ Departments of the Government of India are requested to strictly adhere to the revised instructions contained in this Office Memorandum alongwith the other decisions coveyed in this Department's O. M. of 4th December, 1997 and also advise their attached/subordinate offices etc., to do the same.

Sd/—

(Bharti Prasad)

Joint Secy. to the Government of India

To,

All Ministries/Departments,
of the Government of India, etc.

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(DEPTT. OF EXPENDITURE)

NEW DELHI, THE 4TH DEC., 1997

OFFICE MEMORANDUM

Sub.: Air Travel Abroad by Government Servants—Travel by National Carriers.

Under the existing instructions issued by the Ministry of Civil Aviation, in all cases of deputation abroad where the cost of air pasage is borne by the Government of India, the persons concerned should travel by the national carriers i.e. Air India/Indian Airlines and the booking of all such passage for air travel, abroad on Government account should be made with Air India/Indian Airlines directly or through the public sector travel agents viz. M/s Ashok Travels and Tours and Balmer & Lawrie.

2. Representations have been received regarding the inconvenience caused to officials travelling abroad due to the above restrictions. The existing instructions have accordingly, been reviewed and the following decisions have been taken :—

(a) Wherever the destination is directly connected by Air India/Indian Airlines on the day the official has to commence the onward Journey, the official concerned should necessarily travel by Air India/Indian Airlines in terms of the existing instructions. Air India and its booking offices will ensure convenient connections for the Governemnt officials booked by these Airlines. The booking of tickets in such cases should also be through the concerned, national carrier directly.

(b) If on a particular day when the onward journey is to commence the final destination is not served by Air India/Indian Airlines, the official may travel by other Airlines, with the approval of their controlling officers.

(c) In sectors where Air India/Indian Airlines do not operate or there is no direct flight to the final destination, the officials could travel in other Airlines, at their discretion. This will be subject to the officials travelling on the national carriers to the nearest station/ point, is conveniently connected by other carriers on the day of journey in course of travel to the final destination. In such cases, they could book their ticket through M/s Ashok Travels & Tours and Balmer & Lawrie or any other travel agent subject to the fulfilment of the following conditions :—

- (i) The travel agent is approved by IATA.
- (ii) The travel agent is registered with the Department of Tourism, Government of India.
- (iii) The travel agent is willing to extend credit facility for a minimum period of 30 days from the date of receipt of the bill.
- (d) Where tickets are booked directly with Air India, 12% discount Air India flown revenue will be available if the payment is made within 30 days from the date of the receipt of the bills. This incentive will, however, not be available in respect of travel on foreign exchange abroad where Air India is currently providing 100 kgs. baggage and few other additional benefits.
- (e) On long-haul Air India/Indian Airlines flights abroad, a complimentary lay-over for 24 hours will be available to all Government employees. In addition, Air India/Indian Airlines will also provide automatic upgradation to First Class to officers of the level of Joint Secretary and above on seat availability basis and to Under Secretaries and above and including Director level officers to Business class on seat availability basis.

This O.M. issues in consultation with the Ministry of Civil Aviation vide their U. O. No. AV 13025/1/96-A dated 17.11.97.

Sd/—
(K. GURTU)
DIRECTOR

ALL MINISTRIES/DEPARTMENTS OF GOVERNMENT OF INDIA.
UPSC
CAG
ELECTION COMMISSION OF INDIA.
AS PER STANDARD MAILING LIST.

पत्र संख्या-1/एल०-10/98का० 729

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री अंजनी कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी/उपायुक्त/ सभी उप विकास आयुक्त

पटना-15, दिनांक-29 जनवरी, 1999

विषय :- मुख्यालय छोड़ने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक-3320, दिनांक-15.5.95 एवं पत्रांक-3272, दिनांक-8.4.97 की ओर ध्यानाकृष्ट करते हुए कहना है कि उक्त विभागीय परिपत्र द्वारा निर्देश परिचारित किये जाने के पश्चात् भी यह देखा जा रहा है कि पदाधिकारीगण बिना पूर्वानुमति के अवकाश/आकस्मिक अवकाश उपभोग करने हेतु अथवा अन्य कारणों से मुख्यालय छोड़ देते हैं जो नियम विरुद्ध है। मुख्य सचिव ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुनः यह आदेश दिया है कि भविष्य में प्रमण्डलीय आयुक्त अथवा जिला पदाधिकारी उनके आदेश के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे ।

2. वैसे ही पदाधिकारी विशेष परिस्थिति में मुख्यालय छोड़ सकते हैं जिन्हें विधान मण्डल अथवा इसके किसी सक्षिति/उपसमिति के समक्ष अथवा न्यायिक कार्यों से न्यायालय में उपस्थिति आवश्यक हो और इसके लिये उन्हें पर्याप्त अग्रिम सूचना या समय नहीं हो । फिर भी वैसे पदाधिकारी अविलम्ब इस सम्बन्ध में सूचना मुख्य सचिव को उपलब्ध करायेंगे और आदेश प्राप्त की प्रत्याशा में मुख्यालय छोड़ेंगे ।

3. उपविकास आयुक्तों के मामले में ऊपर की कण्डिका-2 की परिस्थिति में प्रमण्डलीय आयुक्त ही इन्हें मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान करेंगे किन्तु इसकी सूचना अविलम्ब राज्य मुख्यालय को देंगे ।

4. उपर्युक्त वर्णित परिस्थिति के अलावे अगर कोई पदाधिकारी बिना पूर्वानुमति के मुख्यालय छोड़ते हैं और विलम्ब से पत्र भेजते हैं, तो उनके विरुद्ध आदेश की अवहेलना के लिए अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है ।

अतः अनुरोध है कि इस निर्देश का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय एवं अपने अधीनस्थों को भी इससे अवगत करा दिया जाय ।

विश्वासभाजन,

ह०/-अंजनी कुमार

सरकार के संयुक्त सचिव ।

पत्र संख्या-1/एल०-08/98 का०-5821

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री देवाशीष गुप्ता,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी विभागीय सचिव
सभी अपर आयुक्त ।

पटना 15, दिनांक 30 मई, 1998 ।

विषय :- उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के सम्बन्ध में विभागीय पत्रांक 3098, दिनांक 22.3.94 का विलोपन ।

महाशय,

निर्देशानुसार उपर्युक्त विषयक के प्रसंग में कहना है कि विभागीय सचिव एवं अपर आयुक्त स्तर तक के भा० प्र० से० के पदाधिकारियों को अर्जित अवकाश की स्वीकृति के सम्बन्ध में विभागीय पत्रांक 3098, दिनांक 22.3.94 के द्वारा विभागीय मंत्री की अनुशंसा प्राप्त कर ही आवेदन पत्र देने का निर्देश दिया गया था, को सम्प्रति विलोपित किया जाता है । अब उपर्युक्त वैसे पदाधिकारी अर्जित अवकाश में जाने से पूर्व वैकल्पिक व्यवस्था एवं पत्राचार का उल्लेख करते हुए अपना अभ्यावेदन देंगे । अपर आयुक्त स्तर के पदाधिकारी अपना आवेदन विभागीय सचिव की अनुशंसा के साथ उचित माध्यम द्वारा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को उपलब्ध करायेंगे ।

कृपया इसे दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय ।

विश्वासभाजन,
ह०/-देवाशीष गुप्ता
सरकार के सचिव ।

पत्र संख्या-1/एल०-35/89 का०-5625

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री एन० एन० सिन्हा,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष
सभी आयुक्त एवं सचिव/सचिव
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 27-5-1998

विषय :- अवकाश में प्रस्थान करने से पूर्व अवकाश में रहने की अवधि का पता एवं दूरभाष संख्या उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग में कहना है कि प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि पदाधिकारीगण आकस्मिक अवकाश/अर्जित अवकाश अथवा अन्य अवकाश में प्रस्थान करने से पूर्व अपने अवकाश संबंधी आवेदन में छुट्टी में रहने की अवधि का पता एवं दूरभाष संख्या का उल्लेख नहीं करते हैं जिसके कारण वैसे पदाधिकारियों से राजकीय हित में अवकाश अवधि में संपर्क करने में कठिनाई होती है, फलतः राजकीय कार्य बाधित होता है । सरकार ने इस बात को गंभीरता से लिया है एवं इस संबंध में निर्देश दिया है कि अब से जो भी पदाधिकारी आकस्मिक अवकाश/अर्जित अवकाश अथवा अन्य अवकाश में प्रस्थान करेंगे उन्हें निश्चित रूप से अवकाश में रहने की अवधि का पता एवं दूरभाष संख्या अपने आवेदन में उल्लेख करना है तब ही अवकाश की स्वीकृति देने पर विचार किया जायगा ।

अतः अनुरोध है कि पदाधिकारीगण अवकाश में प्रस्थान करने से पूर्व अपने आवेदन में अवकाश में रहने की अवधि का पता एवं दूरभाष संख्या का उल्लेख निश्चित रूप से करने की कृपा करें एवं छुट्टी की स्वीकृति मिलने के बाद ही छुट्टी में प्रस्थान करें ।

इस आदेश का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय एवं अपने अधीनस्थों को भी इससे अवगत करा दिया जाय ।

विश्वासभाजन,

ह०/-एन० एन० सिन्हा
सरकार के अपर सचिव ।

पत्र संख्या-1/एल-05/98 का०-3881

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री बी० पी० वर्मा,
मुख्य सचिव, बिहार ।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी

पटना-15, दिनांक 7-4-1998

विषय :- नये पद का प्रभार ग्रहण करने पर भी पूर्व पद का प्रभार नहीं सौंपने/त्यागने के संबंध में ।

महोदय,

प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि पदाधिकारीगण नये पद का प्रभार ग्रहण करने पर भी अपने पूर्व पद का त्याग नहीं करते हैं जबकि सरकार द्वारा स्थानान्तरित पदाधिकारी को अधिसूचित पद का प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अपने पूर्व पद से स्वतः विरमित समझे जाने का स्पष्ट निदेश तत्संबंधी अधिसूचना में अंकित रहता है । उन्हें अपने पूर्व पद के अतिरिक्त प्रभार में रहने संबंधी कोई आदेश भी नहीं दिया जाता है फिर भी वे नये पद के साथ पूर्व पद पर यथावत् बने रहते हैं । इससे प्रशासनिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं । सरकार ने इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर निर्णय लिया है कि सभी पदाधिकारियों को हिदायत दे दी जाय कि बिना सरकार के एतद् संबंधी आदेश के कोई भी पदाधिकारी स्थानान्तरण के उपरान्त पूर्व पद का प्रभार जारी नहीं रखें ।

अतः भविष्य में सभी स्थानान्तरित पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अधिसूचित पद का प्रभार ग्रहण करने के पूर्व निश्चित रूप से अपने पूर्व पद का प्रभार अपने प्रतिस्थानी को सौंप दें या उसका परित्याग कर दें । किसी भी स्थिति में बिना आदेश के अपने पूर्व पद नहीं बने रहें ।

कृपया इस निदेश का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय एवं अधीनस्थों को भी इससे अवगत कराया जाय ।

विश्वासभाजन,

ह०/-बी० पी० वर्मा,
मुख्य सचिव, बिहार ।

पत्र संख्या-1/एल-56/95 का०-9043

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री रवि मित्तल,

सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष

सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 20 सितम्बर, 1997

विषय :- पदाधिकारियों के स्थानान्तरण होने के फलस्वरूप नये पद पर योगदान देने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण से सम्बन्धित अधिसूचना निर्गत हो जाने के पश्चात् पदाधिकारी अपने वर्तमान पद का पदभार बिना त्याग किये ही स्थानान्तरित पद पर योगदान दे देते हैं, जिसके कारण बहुत सारी प्रशासनिक एवं अन्य कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं । अतः निर्णय लिया गया है कि जब तक दोनों पदों पर बने रहने का सरकारी आदेश निर्गत नहीं हो जाता तबतक ऐसा करना नियमानुकूल नहीं है ।

अतः सभी सम्बद्ध पदाधिकारियों से अनुरोध है कि कृपया ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय कि भविष्य में पदाधिकारी अपने स्थानान्तरण के पश्चात् तुरंत वर्तमान पद से विरमित होने पर ही अधिसूचित पद पर योगदान करें ।

कृपया इस निर्देश का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय एवं अपने अधीनस्थों को भी इससे अवगत करा दिया जाय ।

विश्वासभाजन,

ह०/- रवि मित्तल

सरकार के अपर सचिव ।

पत्र संख्या 1/एल-11/97 का०-3272

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री डी० एस० गंगवार,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी/उपायुक्त ।

पटना-15, दिनांक 8 अप्रैल, 1997.

विषय :- आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक 3320, दिनांक 15-5-95 की ओर ध्यानाकृष्ट करते हुए कहना है कि उक्त निर्देश प्रचारित किये जाने के बाद भी प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि भा० प्र० से० के पदाधिकारियों के छुट्टी में प्रस्थान करने एवं मुख्यालय छोड़ने से पूर्व समय पर अनुमति न प्राप्त कर विलम्ब से पत्र भेजे जाते हैं, जो कि घटनोत्तर मामला हो जाता है । मुख्य सचिव ने इसे गंभीरता से लिया है एवं निर्देश दिया है कि सभी प्रमंडलीय आयुक्त/जिलाधिकारी/उपायुक्त मुख्यालय छोड़ने से पहले आदेश प्राप्त कर लें ।

अतः सम्बद्ध पदाधिकारियों से अनुरोध है कि उपर्युक्त अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय ।

,विश्वासभाजन,

ह०/- डी० एस० गंगवार
सरकार के अपर सचिव ।

पत्र संख्या-1/एल -68/93 का०-3098

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री अ० कु० बसाक,

मुख्य सचिव, बिहार ।

सेवा में,

सभी विभागीय सचिव, बिहार, पटना ।

सभी अपर आयुक्त, बिहार, पटना ।

पटना-15, दिनांक 22 मार्च, 1994

विषय :- उपार्जित एवं अन्य अवकाश की स्वीकृति के पूर्व विभागीय मंत्री की अनुशंसा प्राप्त करने के संबंध में ।

महाराय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि उपार्जित एवं अन्य अवकाश की स्वीकृति हेतु विभागीय मंत्री की अनुशंसा अपेक्षित है ।

2. अतः अनुरोध है कि उपार्जित या अन्य अवकाश की स्वीकृति हेतु अपने विभागीय मंत्री की अनुशंसा प्राप्त कर ही अपना आवेदन पत्र देने का कष्ट करेंगे, अन्यथा इसकी स्वीकृति देना सम्भव नहीं होगा ।

3. कृपया इसे अमल में लाया जाय ।

विश्वासभाजन,

ह०/-अ० कु० बसाक,

मुख्य सचिव, बिहार ।

पत्र संख्या-3/सी०एस०-902/94-978

बिहार सरकार,
मंत्रिमंडल सचिवालय ।

प्रेषक,

अ० कु० बसाक,
मुख्य सचिव, बिहार ।

सेवा में,

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव
सरकार के सभी सचिव ।

पटना-15, दिनांक 18 मार्च, 1994

विषय :- पदाधिकारियों द्वारा राज्य के बाहर परिभ्रमण ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मेरी जानकारी में यह आया है कि मुख्य सचिव द्वारा इस विषय के संबंध में निर्गत पत्रांक 1050 दिनांक 7-6-90 (प्रतिलिपि संलग्न) में दिए गए निदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है तथा उक्त पत्र में दिए गए निदेशों के विपरीत पदाधिकारियों द्वारा राज्य के बाहर यात्राएं की जा रही हैं ।

2. सरकार द्वारा यह स्पष्ट निदेश दिया गया था कि विभाग के प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/सचिव विभागीय मंत्री के अनुमोदनोपरान्त तथा मुख्य सचिव की पूर्वानुमति प्राप्त कर ही राज्य के बाहर के दौरे पर जायेंगे । इसी प्रकार अन्य विभागीय पदाधिकारी विभागीय सचिव के माध्यम से मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त कर ही राज्य के बाहर के दौरे पर जा सकेंगे । सभी पदाधिकारी यात्रा में प्रस्थान करने के पूर्व यात्रा कार्यक्रम परिचारित करेंगे जिसमें प्रस्थान/आगमन के स्थान/तिथि एवं भ्रमण पर सम्पर्क की सूचना उपलब्ध रहेगी । दिल्ली या राज्य के बाहर अन्य स्थान से लौटने पर प्रत्येक पदाधिकारी अपना यात्रा दैनन्दिनी यात्रा विपत्र के लिये तो तैयार करेंगे ही, साथ ही साथ यात्रा टिप्पणी भी तैयार कर अपने नियंत्रण पदाधिकारी एवं अन्य सम्बद्ध पदाधिकारियों को प्रेषित करेंगे । विभागीय सचिव अपनी यात्रा टिप्पणी विभागीय मंत्री को एवं विकास आयुक्त-सह-योजना परामर्शी को परियोजनाओं से संबंधित यात्रा टिप्पणियाँ भेजेंगे जिसे यथा आवश्यक वे मुख्यमंत्री को अवलोकनार्थ भी प्रस्तुत कर सकते हैं ।

3. सरकार का यह भी निदेश था कि दिल्ली में आयोजित बैठकों में भाग लेने हेतु विभागीय सचिव यथासंभव अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को भेजें एवं अनिवार्य परिस्थितियों में ही स्वयं बैठक में भाग लेने के लिए जायें ।

4. उक्त परिपत्र के द्वारा बाहर यात्रा संबंधी प्रतिबंध भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा आहूत सम्मेलन में भाग लेने या उच्च न्यायालय में उपस्थित होने की यात्राओं में लागू नहीं होने का निदेश है, लेकिन जैसे मामलों में भी विभागीय सचिव या आयुक्त एवं सचिव या प्रधान सचिव विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर यात्रा कार्यक्रम परिचालित करते हुए दौरा पर जायेंगे एवं यात्रा के बाद एक टिप्पणी कॉडिका-2 के अनुरूप प्रसारित करेंगे ।

5. आप सभी से अनुरोध है कि राज्य के बाहर परिभ्रमण करने के मामलों में इन निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन,

ह०/-अ० कु० बसाक

मुख्य सचिव, बिहार ।

पत्र संख्या-1/एल-38/93 का०-9888

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक

श्री एस० एन० विश्वास,
आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला दण्डाधिकारी एवं सम्महता
सभी उप विकास आयुक्त ।

पटना-15, दिनांक 29 सितम्बर, 1993

महाशय,

निदेशानुसार आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे कहना है कि सरकार का यह स्पष्ट निदेश है कि प्रमण्डलीय आयुक्त एवं जिला दण्डाधिकारी को मुख्यालय छोड़ने के पूर्व मुख्य सचिव का पूर्वानुमोदन आवश्यक है । फिर भी यह देखा जा रहा है कि प्रायः ही इस आदेश का अनुपालन दृढ़तापूर्वक नहीं हो रहा है । इसलिए यह आवश्यक है कि इन अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाय एवं प्रमण्डलीय आयुक्त तथा जिला दंडाधिकारी मुख्यालय छोड़ने के पूर्व अवश्य ही मुख्य सचिव की पूर्वानुमति प्राप्त करें ।

यदि उपर्युक्त पदाधिकारियों के न्यायालय या विधान मंडल की किसी समिति के समक्ष उपस्थिति आवश्यक हो और इसके लिए उन्हें पर्याप्त अग्रिम सूचना नहीं रहे तो वे मुख्य सचिव के अनुमोदन की प्रत्याशा में मुख्यालय छोड़ सकते हैं परन्तु कार्योंपरान्त स्वीकृति हेतु वे यथाशीघ्र मुख्य सचिव का आदेश प्राप्त कर लेंगे ।

उप विकास आयुक्तों के संबंध में प्रमण्डलीय आयुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि यद्यपि उप विकास आयुक्तों को आकस्मिक अवकाश जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायगा, उप विकास आयुक्त को मुख्यालय छोड़ने के लिए संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त की पूर्वानुमति लेना आवश्यक होगा ।

कृपया इन आदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाय ।

विश्वासभाजन,

ह०/-एस० एन० विश्वास
आयुक्त एवं सचिव ।

पत्र संख्या-1/सी०-1/92 (खंड) का०-3137

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री भानु प्रताप शर्मा,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

प्रमंडलीय आयुक्त,

पटना/गया/मुजफ्फरपुर/दरभंगा/सारण/भागलपुर/सहरसा/पूर्णिया/दुमका/हजारीबाग/एवं रांची ।

सभी जिला दण्डाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 8 अप्रैल, 1992

विषय :- उप विकास आयुक्त के पद के रिक्त रहने पर उनके कार्य को संबंधित जिला के जिला दण्डाधिकारी द्वारा देखने के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर मुझे कहना है कि सरकार ने निर्णय लिया है कि भविष्य में उप विकास आयुक्त के पद के रिक्त रहने पर उनके कार्य को संबंधित जिला के जिला दण्डाधिकारी देखेंगे ।

अतः अनुरोध है कि तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें ।

विश्वासभाजन,

ह०/-भानु प्रताप शर्मा,
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-1/पी०-01/92 (खंड) का०-3137

पटना-15, दिनांक 8 अप्रैल, 1992

प्रतिलिपि-मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, पटना/मुख्य सचिव, बिहार पटना/अपर मुख्य सचिव, बिहार, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

ह०/-भानु प्रताप शर्मा,
सरकार के अपर सचिव ।

पत्र संख्या-1/एल-58/91 का०-57

बिहार सरकार,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री भानु प्रताप शर्मा,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिलाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 6 जनवरी, 1992

विषय :- छुट्टी की स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे कहना है कि प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि प्रमण्डलीय आयुक्त सार्वजनिक छुट्टियों में अवकाश हेतु आवेदन देते हैं तथा मुख्यालय छोड़ने की अनुमति मांगते हैं । कभी-कभी प्रमण्डलीय मुख्यालय के जिले के जिला पदाधिकारी एवं आयुक्त दोनों ही एक ही अवधि में अवकाश पर जाना चाहते हैं ।

2. प्रशासन यंत्र को चुस्त एवं दुरुस्त रखने तथा विधि व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखने के लिए आवश्यक है कि प्रमण्डलीय आयुक्त तथा समाहर्ता सार्वजनिक छुट्टियों के दिनों में विशेष रूप से मुख्यालय में ही रहें । यदि विशेष परिस्थिति में छुट्टी लेने या मुख्यालय छोड़ने की आवश्यकता हो तो वैसी हालत में प्रमण्डलीय आयुक्त तथा जिला पदाधिकारी में से एक को मुख्यालय में रहना आवश्यक है । अतः अनुरोध है कि प्रमण्डलीय आयुक्त तथा जिलाधिकारी सार्वजनिक छुट्टियों की अवधि में मुख्यालय में ही रहें तथा एक साथ छुट्टी पर नहीं जायें ।

विश्वासभाजन,

ह०/-भानु प्रताप शर्मा,
सरकार के अपर सचिव ।

पत्र संख्या-1/एल०-36/90 का०-8204

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री अशोक कुमार चौधरी, सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलायुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त ।

पटना-15, दिनांक 19 जून, 1991 ।

विषय :- आकस्मिक छुट्टी की स्वीकृति एवं मुख्यालय छोड़ने के संबंध में अनुदेश ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र संख्या 467, दिनांक 10.1.91 (प्रतिलिपि संलग्न) में निहित प्रावधान के संबंध में कतिपय पृच्छा की गयी है । इस संबंध में राज्य सरकार ने विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि बिहार सेवा संहिता के परिशिष्ट-13, के नियम (3) एवं (5) के अधीन पूर्व की तरह प्रमण्डलीय आयुक्त राज्य सरकार से, जिला पदाधिकारी, प्रमण्डलीय आयुक्त से एवं जिला पदाधिकारी के अधीनस्थ उप विकास आयुक्त जिला पदाधिकारी से आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करा कर उसका उपभोग कर सकते हैं । किन्तु यह व्यवस्था उन्हीं मामलों में लागू होगी जहाँ पदाधिकारी को अवकाश स्वीकृत कर अपने मुख्यालय में ही रहना हो ।

2. जहाँ तक आकस्मिक अवकाश लेकर मुख्यालय छोड़ने का प्रश्न है, प्रमण्डलीय आयुक्त आकस्मिक अवकाश संबंधी अपना आवेदन पत्र राज्य सरकार को भेजेंगे और राज्य सरकार द्वारा आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्राप्त कर ही उसका उपभोग करेंगे । जिला पदाधिकारी के संबंध में प्रमण्डलीय आयुक्त आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति देते हुए मुख्यालय छोड़ने की अनुमति का मामला राज्य सरकार को भेजेंगे और अनुमति प्राप्त होने पर ही जिला पदाधिकारी मुख्यालय छोड़ सकेंगे । उसी प्रकार जिला पदाधिकारी अपने स्तर से उप विकास आयुक्त को आकस्मिक छुट्टी की स्वीकृति देते हुए प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचित करते हुए मुख्यालय छोड़ने की अनुमति का मामला राज्य सरकार को भेजेंगे एवं अनुमति प्राप्त होने पर ही उप विकास आयुक्त मुख्यालय छोड़ सकेंगे ।

3. सरकार ने यह निदेश दिया है कि उपर्युक्त अनुदेशों के अनुपालन में कोई विचलन नहीं होना चाहिए ।

विश्वासभाजन,

ह०/-अशोक कुमार चौधरी

सरकार के सचिव ।

पत्र संख्या-1/ एल-36/90 का०-467

बिहार सरकार,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री अशोक कुमार चौधरी,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिलाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त ।

पटना-15, दिनांक 10 जनवरी, 1991

विषय :- आकस्मिक छुट्टी की स्वीकृति के लिए आवेदन ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सरकार के समक्ष कुछ मामले आए हैं जिनसे यह स्पष्ट है कि प्रमण्डलीय आयुक्त/जिलाधिकारी/उप विकास आयुक्त आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति के लिए सरकार को एक दिन पूर्व आवेदन पत्र भेजते हैं, जिससे सरकार द्वारा समय पर विचार कर पाना संभव नहीं होता है और इस स्थिति में संबंधित पदाधिकारी स्वीकृति की प्रत्याशा में आकस्मिक छुट्टी में प्रस्थान कर जाते हैं ।

2. उपर्युक्त स्थिति पर गौर करते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रमण्डलीय आयुक्त/ जिलाधिकारी/उप विकास आयुक्त सरकार से आकस्मिक छुट्टी स्वीकृत कराकर ही आकस्मिक छुट्टी पर प्रस्थान करें जिसके लिए कम से कम एक सप्ताह पूर्व सरकार को आवेदन पत्र उपलब्ध करायें ।

विश्वासभाजन,
ह०/-अशोक कुमार चौधरी,
सरकार के सचिव ।

पत्र संख्या-1050

बिहार सरकार,
मंत्रिमंडल सचिवालय ।

प्रेषक,

श्री कमला प्रसाद,
सरकार के मुख्य सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी प्रधान सचिव
सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव
सरकार के सभी सचिव ।

पटना-15, दिनांक 7 जून, 1990

विषय :- पदाधिकारियों द्वारा राज्य के बाहर परिभ्रमण ।

महाशय,

उपरोक्त विषय के प्रसंग में निदेशानुसार मुझे सूचित करना है कि राज्य सरकार की यह धारणा बनी है कि विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारियों के राज्य से बाहर विशेषतः दिल्ली की यात्रा में अपेक्षित नियंत्रण नहीं रखा जा रहा है ।

2. सरकार के वर्तमान निदेशों के अनुसार विभागीय सचिव, विभागीय मंत्री के अनुमोदन से तथा अन्य विभागीय पदाधिकारी, विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त कर राज्य से बाहर की यात्रा पर जा सकते हैं ।

3. सरकार ने निर्णय लिया है कि भविष्य में विभाग के प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/सचिव, विभागीय मंत्री के अनुमोदनोपरान्त तथा मुख्य सचिव के पूर्वानुमति प्राप्त कर ही राज्य के बाहर के दौरे पर जायेंगे । इसी प्रकार अन्य विभागीय पदाधिकारी विभागीय सचिव के माध्यम से मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त कर ही राज्य के बाहर दौरे पर जा सकेंगे। सभी पदाधिकारी यात्रा में प्रस्थान करने के पूर्व यात्रा कार्यक्रम सभी सम्बद्ध के सूचनार्थ परिचारित करेंगे, जिसमें प्रस्थान/आगमन के स्थान/तिथि एवं भ्रमण पर सम्पर्क की सूचना उपलब्ध रहेगी ।

4. दिल्ली अथवा राज्य के बाहर अन्य स्थान से लौटने पर प्रत्येक पदाधिकारी अपनी यात्रा दैनन्दिनी यात्रा विपत्र के लिए तो तैयार करेंगे ही, साथ ही साथ यात्रा टिप्पणी भी तैयार कर अपने नियंत्रण पदाधिकारी एवं अन्य सम्बद्ध

पदाधिकारियों को प्रेषित करेंगे। विभागीय सचिव अपनी यात्रा टिप्पणी विभागीय मंत्री को एवं विकास आयुक्त-सह-योजना परामर्शी को परियोजनाओं से संबंधित यात्रा टिप्पणियां भेजेंगे, जिसे यथा आवश्यक वे मुख्यमंत्री के अवलोकनार्थ भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

5. सरकार की यह अपेक्षा है कि दिल्ली में आयोजित बैठकों में भाग लेने हेतु विभागीय सचिव यथासंभव अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को भेजें एवं अनिवार्य परिस्थितियों में ही स्वयं बैठक में भाग लेने के लिए जायें।

6. सरकार की मान्यता है कि जिला स्तर के प्रशासन को और अधिक सक्रिय बनाने के लिये राज्य स्तर से अधिकाधिक मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है। अतएव सरकार चाहती है कि विभागीय सचिव एवं विभागाध्यक्ष प्रत्येक माह में 7-10 दिनों का राज्य के अन्दर गहनरूप से दौरा कर स्थानीय तौर पर विभागीय कार्यक्रमों की समीक्षा करें ताकि जिला स्तरीय पदाधिकारियों को यथोचित मार्ग-दर्शन देने के साथ-साथ कार्यों का व्यक्तिगत रूप में मूल्यांकन भी कर सकें।

7. उपर्युक्त राज्य से बाहर यात्रा संबंधी प्रतिबंध भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा आहूत सम्मेलन में भाग लेने अथवा न्यायालय में उपस्थित होने की यात्राओं पर लागू नहीं होगा, लेकिन जैसे दृष्टांतों में भी विभागीय सचिव अथवा आयुक्त एवं सचिव या प्रधान सचिव विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर यात्रा कार्यक्रम परिचरित करते हुए दौरों पर जायेंगे एवं यात्रा के बाद एक टिप्पणी खंड 4 के अनुरूप प्रसारित करेंगे।

विश्वासभाजन,

ह०/- कमला प्रसाद,

सरकार के मुख्य सचिव।

पत्र संख्या-1/एल 1-1044/86 का०-6196

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री अशोक कुमार चौधरी,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलायुक्त ।

पटना-15, दिनांक 28 मई, 1990 ।

विषय :- प्रमण्डलायुक्त द्वारा भा० प्र० से० के पदाधिकारियों को अवकाश स्वीकृत करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के प्रसंग में मुझे कहना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (पूर्ववर्ती नियुक्ति विभाग) के पत्रांक 1/छु 1-3029/64 नि०-3462 दिनांक 22.3.65 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को अपने प्रमण्डल के अधीन कार्यरत अनुमण्डल पदाधिकारी तथा अपर समाहर्ता को स्थानीय व्यवस्था कर जिससे कि उनकी अनुपस्थिति में भी काम चालू रख सकें, कुल 30 दिनों तक छुट्टी देने के लिए एवं उसे बिहार गजट में अपने हस्ताक्षर से अधिसूचित कराने के लिए सक्षम हैं ।

2. अनुमंडल पदाधिकारी तथा अपर समाहर्ता के रूप में भारतीय प्रशासनिक सेवा के सभी पदाधिकारी कार्यरत रहते हैं । यह देखने को मिला है कि भारतीय प्रशा० सेवा के पदाधिकारी को बिहार सेवा संहिता के नियम के अधीन उपाजित छुट्टी की स्वीकृति प्रमण्डलीय आयुक्त द्वारा स्वीकृत कर दी जाती है । यह भी देखने को मिला है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के जिला पदाधिकारी के रूप में कार्यरत पदाधिकारी को राज्य सरकार द्वारा छुट्टी स्वीकृत किये जाने की प्रत्याशा में प्रमण्डलीय आयुक्त द्वारा उन्हें छुट्टी में प्रस्थान करने एवं अपना प्रभार सौंपने की अनुमति प्रदान कर दी जा रही है । इस प्रकार की कार्रवाई से राज्य सरकार के समक्ष कभी-कभी विषम परिस्थिति पैदा हो गयी है ।

3. अतः उपर्युक्त स्थिति को मद्दे नजर रखकर राज्य सरकार यह चाहती है कि प्रमण्डलायुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी को उपर्युक्त पत्र में वर्णित अपनी शक्ति के अधीन अखिल भारतीय सेवायें (अवकाश) नियमावली, 1955 के संगत नियमों के अधीन ही उपाजित छुट्टी स्वीकृत करें । भारतीय प्रशासन सेवा के सदस्य जो

प्रमण्डल के अन्तर्गत विभिन्न पद पर पदस्थापित रहते हैं, प्रमण्डलीय आयुक्त उन्हें आकस्मिक छुट्टी स्वीकृत कर सकते हैं जिसके लिए वे पूर्व से ही सक्षम हैं । ऐसी छुट्टी में प्रस्थान करने के समय प्रभार सौंपकर आकस्मिक छुट्टी में प्रस्थान करने का प्रश्न नहीं रहता है किन्तु जब भी कोई विशेष परिस्थिति में प्रभार सौंपे जाने की आवश्यकता दिखलाई पड़े तो कार्मिक विभाग के माध्यम से राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त कर ही प्रभार सौंप सकते हैं । बिना कोई स्थानान्तरण/पदस्थापन के भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी कोटि के पदाधिकारी को किसी प्रकार की छुट्टी का राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये जाने की प्रत्याशा में संबोधित पदाधिकारी को अपना प्रभार सौंपने एवं छुट्टी में प्रस्थान करने की अनुमति नहीं दी जाय । वैसे मामलों में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति/अनुमति निश्चित रूप से प्राप्त कर ही तदनुसार कार्रवाई की जाय ।

विश्वासभाजन,

ह०/- अशोक कुमार चौधरी ।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-1/एल 1-1044/86 का०-6196

पटना-15, दिनांक 28 मई, 1990 ।

प्रतिलिपि, महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/महालेखाकार, बिहार, पो०-हिन्नु, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/- अशोक कुमार चौधरी ।

सरकार के सचिव ।

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

विषय :- सीधी भर्ती से भा० प्र० से० में नियुक्त पदाधिकारियों को भा०प्र०से० के वरीय वेतनमान में प्रोन्नति देने हेतु भा०प्र०से० (विभागीय परीक्षा) नियमावली, 1962 के नियम 11-ए में संशोधन एवं मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निरूपण ।

सीधी भर्ती से भा०प्र०से० में नियुक्त पदाधिकारियों को भा०प्र०से० के वरीय वेतनमान में प्रोन्नति देने के संबंध में आई०ए०एस० (पे) रूल्स, 1954 का नियम (3) तथा आई०ए०एस० (रिक्रूटमेन्ट) रूल्स, 1954 का नियम 6 (ए) प्रासंगिक है ।

2. राज्य सरकार ने आई०ए०एस० (पे) रूल्स, 1954 के नियम (6) तथा (7) के अन्तर्गत आई०ए०एस० (विभागीय परीक्षा) नियमावली, 1962 का गठन किया है जिसके नियम 11 तथा 18 भी इस संदर्भ में प्रासंगिक हैं ।

3. इन नियमों द्वारा राज्य सरकार को यह शक्ति तथा विवेक प्रदत्त है कि राज्य सरकार भा०प्र०से० के वरीय वेतनमान में प्रोन्नति के लिए कतिपय शर्तों को अनिवार्य शर्त के रूप में निर्धारित कर सकती है, यथा (1) भा०प्र०से० में सम्पुष्टि (2) विभागीय परीक्षा में पूर्ण रूप से उत्तीर्णता इत्यादि ।

4. इस संबंध में स्पष्ट मार्गदर्शन के अभाव में तथा भा०प्र०से० (विभागीय परीक्षा) नियमावली, 1962 के नियम 11-ए में दोष/त्रुटि रहने के कारण सीधी भर्ती के कई पदाधिकारियों को पूर्व में भा० प्र०से० में सम्पुष्टि तथा विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त किये बिना ही वरीय वेतनमान में प्रोन्नति दी गई है ।

5. राज्य सरकार इस स्थिति को लोकहित में उपयुक्त नहीं मानती है । राज्य सरकार यह समझती है कि वरीय वेतनमान में प्रोन्नति के पहले पदाधिकारियों का भा०प्र०से० में सम्पुष्टि होना तथा विभागीय परीक्षाओं में उच्चतर श्रेणी से सभी विषयों में उत्तीर्ण होना एवं न्यायिक केस रेकॉर्ड्स को समर्पित करना आवश्यक है ।

6. अतः भा०प्र०से० (विभागीय परीक्षा) नियमावली, 1962 के मौजूदा नियम 11-ए के स्थान पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या 4621 दिनांक 21-4-86 द्वारा निम्नांकित नियम 11-ए को प्रतिस्थापित किया गया है ।

"11-A (i) A direct recruit shall not be eligible for appointment to the senior time-scale of pay unless he has passed the departmental examination, specified in rule 10, completely, by the higher standard :

Provided that if a direct recruit belongs to a Non-Hindi speaking State, he will not be debarred from appointment to Senior time-scale of pay even if he does not pass the departmental examination in Hindi, specified in rule 10.

(ii) A direct recruit shall not be eligible for appointment to the Senior time-scale of pay unless he has submitted the prescribed case records to the concerned authority. It would, however, be not necessary to await the formal acceptance of the case records submitted by him and it would be sufficient to consider him for appointment in the Senior time-scale of pay if the records have been submitted by him."

7. उपर्युक्त के क्रम में राज्य सरकार द्वारा भा०प्र०से० के वरीय वेतनमान में प्रोन्नति के लिए 1-1-86 के प्रभाव से निर्मांकित मार्गदर्शक सिद्धान्त निरूपित किया जाता है जिनका निर्वहन प्रोन्नति के लिए अनिवार्य होगा :-

मार्गदर्शक सिद्धान्त

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरीय वेतनमान में प्रोन्नति प्राप्त करने के पहले पदाधिकारियों की कनीय वेतनमान में सेवायें सम्पुष्ट हो जाना अति आवश्यक होगा, परन्तु उसके लिए भारत सरकार के औपचारिक आदेश की प्रतीक्षा करना आवश्यक नहीं होगा। राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को सेवा सम्पुष्टि हेतु अनुशंसा प्रेषित कर दिये जाने पर यह माना जायगा कि पदाधिकारी ने सेवा में सम्पुष्टि की शर्तों को पूरा कर लिया है।

(ख) पदाधिकारी को विभागीय परीक्षा, पूर्ण रूप से, उच्चतर स्तर से भारतीय प्रशासनिक सेवा (विभागीय परीक्षा) नियमावली, 1962 के नियम 11 (ए) एवं 11 (बी) के अनुसार उत्तीर्ण कर लेना होगा।

(ग) भा० प्र० से० के कनीय वेतनमान से वरीय वेतनमान में प्रोन्नति नियमानुसार छठवें वर्ष या उससे पहले दी जा सकती है, परन्तु कार्य अनुभव तथा परिपक्वता के दृष्टिकोण से यह आवश्यक होगा कि वरीय वेतनमान में प्रोन्नति प्राप्त करने के पहले पदाधिकारी ने 14 वर्षों की सेवावधि अवश्य पूरी कर ली हो। चार वर्षों की सेवावधि की गणना भा०प्र०से० में योगदान देने की तिथि से पूर्ण चार वर्षों की पूरी की गई सेवा रूप में होगी।

(घ) भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरीय वेतनमान में प्रोन्नति देने के पहले पदाधिकारी का सेवा अभिलेख संतोषप्रद होना आवश्यक होगा।

(ङ) भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरीय वेतनमान में पदाधिकारी को प्रोन्नति देने पर विचार कर अनुशंसा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक उच्चस्तरीय चयन समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाता है :-

1. मुख्य सचिव - अध्यक्ष
2. सदस्य, राजस्व पर्वद - सदस्य
3. विकास आयुक्त - सदस्य
4. अपर मुख्य सचिव - सदस्य

(जब कभी यह पद सृजित हो, अन्यथा अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो)

5. सचिव, कार्मिक विभाग - सदस्य सचिव

(च) यदि किसी बैंच का पदाधिकारी ऊपर अंकित शर्तों को पूरा नहीं कर पाया हो और उससे कनीय पदाधिकारी ने ऊपर की सभी शर्तों को पूरा कर लिया हो तो सरकार उस कनीय पदाधिकारी को जिसने सभी शर्तों को पूरा कर लिया हो, उससे उल्लिखित वरीय पदाधिकारी की प्रोन्नति को निलम्बित रखते हुए, वरीय वेतनमान में प्रोन्नति देने पर विचार करेगी ।

8. यह संकल्प पहली जनवरी, 1986 से प्रभावी होगा ।

9. आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में तुरन्त प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलायुक्तों/सभी जिलाधिकारियों तथा भा० प्र० से० के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ अग्रसारित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/- एन०के० अग्रवाल

सरकार के सचिव ।

ज्ञापक-1/सी-1-2014/83 का०-9210

पटना-15, दिनांक 21 जुलाई, 1986 ।

प्रतिलिपि, अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना का बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित । उनसे अनुरोध है कि संकल्प की एक हजार प्रतियां कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का अविलम्ब उपलब्ध करावें ।

ह०/- एन० के० अग्रवाल

सरकार के सचिव ।

ज्ञापक-1/सी-1-2014/83 का०-9210

पटना-15, दिनांक 21 जुलाई, 1986 ।

प्रतिलिपि, सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी तथा भा०प्र०से० के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

ह०/- एन० के० अग्रवाल

सरकार के सचिव ।

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 वैशाख 1908 (श०)

(सं०पटना, 223)

पटना, सोमवार, 21 अप्रैल, 1986

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचनाएं

21 अप्रैल, 1986

एस०ओ० 569-भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 1954 का नियम 3 तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (रिक्रूटमेंट) नियमावली, 1954 का नियम 6-ए के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल भारतीय प्रशासनिक सेवा (विभागीय परीक्षा) नियमावली, 1962 के नियम 11-ए में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

संशोधन

उक्त नियमावली में :-

1. नियम 11-ए के स्थान पर निम्नलिखित नया नियम 11-ए प्रतिस्थापित किया जायगा, यथा--

"11-ए (i) सीधी भर्ती से नियुक्त पदाधिकारी वरीय वेतनमान में नियुक्ति के योग्य तबतक नहीं होंगे जबतक कि वे विभागीय परीक्षाओं में जो नियम 10 में स्पष्टतः उल्लिखित है, उच्च मानक से उत्तीर्ण नहीं होते हैं :

परन्तु यदि ऐसे सीधे नियुक्त पदाधिकारी अहिन्दी भाषी राज्य के हों तो उन्हें हिन्दी की विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता नहीं रहने पर भी वरीय वेतनमान में प्रोन्नति से नहीं रोका जाएगा ।

(ii) सीधी भर्ती से नियुक्त पदाधिकारी वरीय समय-वेतनमान में तबतक नियुक्ति के योग्य नहीं होंगे जबतक वे विहित अधिकारी को विहित केस रिकार्ड्स समर्पित नहीं करते :

परन्तु यह आवश्यक नहीं होगा कि उनके द्वारा समर्पित केस रिकार्ड्स की औपचारिक स्वीकृति के लिए प्रतीक्षा की जाय और इतना ही पर्याप्त होगा कि वरीय समय-वेतनमान में नियुक्ति हेतु उनपर विचार किया जाय यदि उन्होंने विहित केस रिकार्ड्स समर्पित कर दिया हो ।"

2. यह पहली जनवरी 1986 से प्रभावी होगा ।

(1/सी 1-2014/83 का०)
बिहार राज्यपाल के आदेश से
एन० के० अग्रवाल
सरकार के सचिव ।

एस० ओ० 570 - एस० ओ० 569, दिनांक 21 अप्रैल 1986 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा ।

(1/सी. 1-2014/83 का०)
बिहार राज्यपाल के आदेश से
एन० के० अग्रवाल
सरकार के सचिव ।

The 21st April, 1986

S. O. 569 .— In exercise of the powers conferred by Article 309 of the Constitution of India, read with rule 3 of I. A. S. (Pay) Rules, 1954 and rule 6A of I. A. S. (Recruitment) Rules, 1954, the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments in rule 11-A of the I. A. S. (Departmental Examination) Rules, 1962 namely :—

AMENDMENTS

In the said Rules —

1. New Rule 11-A shall be substituted in place of the existing Rule 11-A, namely :—

"11-(A). (i) A direct recruit shall not be eligible for appointment to the Senior time-scale of pay unless he has passed the departmental examination specified in rule 10, completely, by the higher standard :

Provided that if a direct recruit belongs to a non-Hindi speaking State, he will not be debarred from appointment to the senior time-scale of pay even if he does not pass the departmental examination in Hindi, specified in rule 10.

(ii) A direct recruit shall not be eligible for appointment to the senior time-scale of pay unless he has submitted the prescribed case records to the concerned authority.

It would, however, be not necessary to await the formal acceptance of the case records submitted by him and it would be sufficient to consider him for appointment in the senior time-scale of pay if the records have been submitted by him."

2. It shall be deemed to have come into force with effect from 1st January, 1986.

(1/C1-2014/83-P)

By order of the Governor of Bihar

N. K. Agarwal

Secretary to Government

पत्र संख्या -1/छु० 1-3029/64 नि० का०-3462

बिहार सरकार

नियुक्ति विभाग

प्रेषक,

श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त ।

पटना-15, दिनांक 22 मार्च, 1965

विषय :- भारतीय प्रशासन सेवा के सदस्य जो अनुमंडल पदाधिकारी या सहायक दण्डाधिकारी के रूप में नियोजित हों तथा उप समाहर्ता जो अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में नियोजित हों को 30 दिनों की छुट्टी देने के लिए प्रमंडलीय आयुक्तों को शक्ति प्रदान करना ।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि अभी तक प्रमंडलीय आयुक्त अनुमंडल पदाधिकारियों को केवल 15 दिनों की छुट्टी देने के लिए सक्षम हैं । परन्तु अपर समाहर्ताओं को 30 दिनों की छुट्टी देने के लिए शक्तियाँ प्रदत्त हो चुकी हैं ।

2. सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि प्रमंडलीय आयुक्त अनुमंडल पदाधिकारियों तथा सहायक दण्डाधिकारियों को स्थानीय व्यवस्था कर जिससे उनकी अनुपस्थिति में भी काम चालू रह सके, 30 दिनों तक की छुट्टी दे सकते हैं । यह छुट्टी वे अपने हस्ताक्षर से गजट में अधिसूचित करायेंगे ।

इस प्रकार दी गयी छुट्टी की सूचना नियुक्ति विभाग को सूचनार्थ शीघ्रताशीघ्र भेज देनी होगी ।

विश्वासभाजन,

ह०/- कृष्ण कुमार श्रीवास्तव

सरकार के सचिव ।

पत्र संख्या-1/वि 1-201/73 का०-7867

बिहार सरकार
कार्मिक विभाग

प्रेषक,

श्री बृजनन्दन सिंह,
उप सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष,

सभी प्रमंडलों के आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी

सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी

निदेशक, प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान, रांची ।

पटना-15, दिनांक 2 जेष्ठ, 1894 (स)

23 मई, 1973

विषय :- भारतीय प्रशासन सेवा के परीक्ष्यमान पदाधिकारियों के लिए राज्य में प्रशिक्षण का कार्यक्रम ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर कार्मिक विभाग के ज्ञापांक 4620 दिनांक 30-3-73 के मद संख्या - 2 (ड) के प्रसंग में मुझे कहना है कि चूंकि 1-10-73 से 15-10-73 तक की अवधि में व्यवहार न्यायालय वार्षिक अवकाश के लिये बन्द रहेगा, अतः प्रशिक्षण के कार्यक्रम में सामंजस्य की आवश्यकता है । सरकार ने निर्णय लिया है कि मद संख्या- 2 (ड) (च) (छ) (ज) में प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम विहित किया गया है, वह अब इस तरह रहे :-

2. (ड) जिला स्तर पर विकास प्रशिक्षण

3 सप्ताह

(पदाधिकारीगण जिला विकास पदाधिकारी से संलग्न रहेंगे) (1-10-73 से 22-10-73 तक)